केन्या के साथ चाय का करार

1307. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्या तथा भारत के बीच एक चाय करार पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस करार के द्वारा भारत को सालाना कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की सम्भावना है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

1308. **श्री एम० एस० पुरती :**
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए हाल ही में कोई योजना केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस कार्य के लिए केंद्रीय सरकार बिहार राज्य को कितनी वित्तीय सहायता देने पर सहमत हो गई है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). 1972-73 वर्ष के दौरान बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने ग्राम विद्युतीकरण निगम को एक स्कीम प्रस्तुत की है जिसमें राज्य बिजली बोर्डों की ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए संयोज्य धन की व्यवस्था है । इस स्कीम में रु० 101.89 लाख की ऋण सहायता परिकल्पित है । इस पर निगम द्वारा नियत मानदण्डों के आधार पर विचार किया जा रहा है । अब तक निगम, बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा 1972-73 वर्ष से पूर्व प्रस्तुत 20 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों को स्वीकृति दे चुका है जिनमें 2,505 गांवों का विद्युतीकरण करने, 32,917 सिंचाई पम्प सेटों/नलकूपों को ऊर्जित करने तथा 4,850 छोटे उद्योगों को बिजली सप्लाई करने के लिए रु० 1198.45 लाख की ऋण सहायता सम्मिलित है ।

Cases disposed of by the High Courts of Calcutta, Bombay and Madras

1309. DR. RANEN SEN : Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state :

(a) the number of cases which have been disposed of by High Courts of Calcutta, Bombay and Madras from January 1971 to July 1972, monthwise ; and

(b) the steps taken to expedite the disposal of cases ?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI H. R. GOKHALE) : (a) A statement giving the information for the period January 1971 to June 1972 monthwise, is attached. Figures for the month of July 1972 are not readily available.

(b) During the last five years, the Judge strength of various High Courts have been increased from 245 to 324. It is proposed to advise the State authorities to undertake a further review of the Judge strength in the light of the institutions and disposals and the arrears to be cleared.

A Committee of Judges under the Chairmanship of Shri Justice J. C. Shah has submitted a report on the problem of arrears in the High Courts. The Committe has made a number of recommendations for reducing arrears and for minimising delays in dispensing justice. The recommendations of the Committee which are purely of administrative nature and which do not require amendment to the rule, statute or law have been communicated to the State Governments and High Courts for implementation. The recommendations involving amendments to the statute or law are being examined and decisions will be taken ascertaining the views of the Judges of the High Courts and the Supreme Court and the State Governments.